न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 117/2020(2020/00188)

अनवान : —

1. मुकेश पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. राजाराम पुत्र सुलतान जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. मनोज कुमारी पुत्री राजाराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. शारदा पुत्री राजाराम जाति खाती निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री राजेश बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 01/12/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु0न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 10 कुल 5.313 हैक्टेयर, चक 2 बारानी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा सुलतान की खातेदारी हुआ करती थी। सुलतान से वादभूमि प्रतिवादी राजाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी राजाराम के नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी राजाराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम को वादी के दादा सुलतान से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 5 डीपीएन के नामान्तरकरण रजिस्टर के क्रमांक 754 एवं चक 2 बारानी के नामान्तरकरण रजिस्टर के क्रमांक 452 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी मुकेश पुत्र राजाराम जाति खाती निवासी खचवाना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 5 डीपीएन सम्वत 2071–74 खाता संख्या 108/111 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 2 बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 55/51 प्रदर्श 2, सरपंच ग्राम पंचायत खचवाना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु0न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 10 कुल 5.313 हैक्टेयर, चक 2 बारानी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम के नाम 1/4 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि [illegible] भूमि [illegible] साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 डीपीएन के खाता संख्या 107/110 के मु0न0 21 के किला न0 19/1, 20, 21 की कुल 0.569 हैक्टेयर, खाता संख्या 108/111 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 15 ता 25, मुरब्बा न0 30 के किला न0 1 ता 10 कुल 5. 313 हैक्टेयर, चक 2 बारानी के खाता संख्या 55/51 के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 21/0.177, 22/0.076, मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2/1 की 0.037 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 0.290 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी राजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी मुकेश व प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम व प्रतिवादी संख्या 2 सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested